भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद

स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय)

वी. रामलिंगास्वामी भवन, अंसारी नगर, नई दिल्ली-110029

सं.167079 दिनांक: 25.02.2026

रिक्ति अधिसूचना

परिषद मुख्यालय, नई दिल्ली अपने मुख्यालय के प्रजनन, बाल स्वास्थ्य एवं पोषण प्रभाग के लिए एक वर्ष की अवधि हेतु एक परामर्शक (मेडिकल/नॉन-मेडिकल) को पूर्णतः अस्थाई संविदा आधार पर नियुक्त करने का प्रयोजन रखता है।

पदों की संख्या	**विवरण**	**जानकारी / आवश्यकताएँ आदि**
परामर्शक(वैज्ञानिक-मेडिकल)		
	अनिवार्य अर्हकता	1. डिग्री प्राप्त करने के बाद न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव 2. न्यूनतम एमबीबीएस या बीडीएस या बीवीएससी अथवा संबंधित विषय में समकक्ष डिग्री 3. विशेषज्ञता के क्षेत्र में सिद्ध दक्षता और सफलता
	वांछनीय कौशलता / अनुभव	1. प्राथमिक अनुसंधान में अनुभव 2. डेटा विश्लेषण (गुणात्मक एवं मात्रात्मक) 3. लेखन का अनुभव: अध्ययन प्रोटोकॉल, प्रशिक्षण प्रोटोकॉल, CRF, सहमति प्रपत्र, दिशा-निर्देश एवं शोध-पत्र 4. सॉफ़्टवेयर का ज्ञान: STATA / SPSS / R / SAS / QGIS 5. प्रसिध्दि प्राप्त जर्नल्सों में प्रकाशन
	ध्यान देने योग्य बिंदु	1. पीएच.डी. को 4 वर्ष के अनुभव के रूप में माना जाएगा (वास्तविक अवधि के बिना)। 2. एम.डी./एम.एस. या समकक्ष को 3 वर्ष के अनुभव के रूप में माना जाएगा। 3. एम.वी.एससी. को 2 वर्ष के अनुभव के रूप में माना जाएगा। 4. एम.पी.एच. को अनुभव के रूप में नहीं गिना जाएगा।
	आयु सीमा	1. **न्यूनतम आयु**: 40 वर्ष 2. **अधिकतम आयु:** 70 वर्ष
	परिलब्धियां	**समेकित शुल्क/पारिश्रमिक:** ₹1,00,000/- से ₹1,80,000/- प्रति माह। यह राशि चयन समिति द्वारा शैक्षणिक योग्यता, अनुभव तथा साक्षात्कार के प्रदर्शन के आधार पर निर्धारित की जाएगी। सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों का पारिश्रमिक वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के दिनांक 09 दिसंबर 2020 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 3-25/2020-E.IIIA तथा समय-समय पर किए गए संशोधनों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।
	आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि	**16 मार्च 2026, सायं 05:30 बजे तक**
पद संख्या	**विवरण**	**जानकारी/आवश्यकताएँ आदि**
परामर्शक (वैज्ञानिक–नॉन-मेडिकल)		
	अनिवार्य योग्यता	1. डिग्री प्राप्त करने के बाद न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव 2. न्यूनतम एमएससी / बीटेक / बीई / एमसीए / एमपीएच / बी.फार्मा /

		बीएएमएस / बीएसएमएस / आयुष में एमडी अथवा समकक्ष योग्यता 3. विशेषज्ञता के क्षेत्र में सिद्ध दक्षता और सफलता
	वांछनीय कौशलता / अनुभव	1. प्राथमिक अनुसंधान में अनुभव 2. डेटा विश्लेषण (गुणात्मक एवं मात्रात्मक) 3. अध्ययन प्रोटोकॉल, प्रशिक्षण प्रोटोकॉल, CRF, सहमति प्रपत्र, दिशा-निर्देश एवं शोध-पत्र लिखने का अनुभव 4. सॉफ़्टवेयर का ज्ञान: STATA / SPSS / R / SAS / QGIS 5. प्रसिध्दि प्राप्त जर्नल्सों में प्रकाशन
	ध्यान देने योग्य बिंदु	1. पीएच.डी. को 4 वर्ष के अनुभव के रूप में माना जाएगा (वास्तविक अवधि के बिना)। 2. एम.पी.एच. / एम.टेक / एम.ई. / एम.फार्मा को अनुभव के रूप में नहीं गिना जाएगा।
	आयु सीमा	1. **न्यूनतम आयु:** 40 वर्ष 2. **अधिकतम आयु:** 70 वर्ष
	परिलब्धियां	**समेकित शुल्क / पारिश्रमिक:** ₹1,00,000/- से ₹1,80,000/- प्रति माह। यह राशि चयन समिति द्वारा शैक्षणिक योग्यता, अनुभव तथा साक्षात्कार के प्रदर्शन के आधार पर निर्धारित की जाएगी। सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के लिए पारिश्रमिक वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के दिनांक 09 दिसंबर 2020 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 3-25/2020-E.IIIA तथा समय-समय पर किए गए संशोधनों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।
	आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि	**16.03.2026 सायः 05:30 बजे तक**

नोटः केवल एक पद उपलब्ध है, जिसे या तो परामर्शक (वैज्ञानिक–मेडिकल) अथवा परामर्शक (वैज्ञानिक–नॉन-मेडिकल) से भरा जाएगा।

सामान्य नियम और शर्तें :

क. परामर्शकों की नियुक्ति की प्रक्रिया

1. आवेदन पत्र

उपर्युक्त पदों के लिए आवेदन करने वाले इच्छुक पात्र उम्मीदवार परिषद की वेबसाइट **www.icmr.gov.in** से निर्धारित आवेदन प्रपत्र डाउनलोड कर सकते हैं।

2. आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया

पूर्ण रूप से भरा हुए आवेदन पत्र में हाल ही का पासपोर्ट साइज का फ़ोटोग्राफ़ साथ में संलग्न होना चाहिए तथा शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता, अनुभव प्रमाणपत्र और प्रकाशन (यदि कोई हो) की स्वप्रमाणित प्रतियों के साथ जमा किया जाना चाहिए। आवेदन पत्र को गूगल फ़ॉर्म के माध्यम से प्रस्तुत करना होगा। गूगल फ़ॉर्म का लिंक **https://forms.gle/j6gLhZDhiV4moRNU6** है:

नोटः निर्धारित अंतिम तारीख और समय के बाद प्रस्तुत किए गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

3. पात्र उम्मीदवारों की सूची

पात्र उम्मीदवारों की सूची परिषद की वेबसाइट **www.icmr.gov.in** पर प्रदर्शित की जाएगी। पात्र उम्मीदवारों को कॉल लेटर में उल्लेखित कार्यक्रम के अनुसार लिखित परीक्षा / साक्षात्कार में उपस्थित होना आवश्यक होगा।

4. चयन प्रक्रिया

• यदि प्रत्येक पद के लिए 30 से अधिक उम्मीदवार आवेदन करते हैं, तो एक लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी जिसमें 50 बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, और ये प्रश्न पद की जिम्मेदारियों से संबंधित होंगे।
• अंतिम चयन लिखित परीक्षा और व्यक्तिगत साक्षात्कार के संयुक्त अंकों के आधार पर किया जाएगा।
• यदि प्रत्येक पद के लिए 30 से कम उम्मीदवार आवेदन करते हैं, तो चयन केवल व्यक्तिगत साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा।
• सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए केवल साक्षात्कार आयोजित किया जाएगा (उनकी लिखित परीक्षा नहीं ली जाएगी)।

5. अंतिम गुणवत्ता सूची

अंतिम गुणवत्ता सूची लिखित परीक्षा (यदि आयोजित की गई तो) और व्यक्तिगत साक्षात्कार के प्रदर्शन के आधार पर तैयार की जाएगी।

ख. अन्य नियम एवं शर्तें

ग. कार्य का समय/दिन और छुट्टी

- कार्य का समय प्रातः 9:00 बजे से सायं 5:30 बजे तक होगा।
- प्रत्येक माह की सेवा पूर्ण करने के बाद 1.5 दिन का वेतन सहित अवकाश प्रदान किया जाएगा।

घ. भत्ता

• संविदा अवधि के दौरान किसी भी अन्य सुविधा जैसे मानदेय या भत्ते यथा एचआरए, महँगाई भत्ता आदि का हकदार नहीं होगा।
• सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी निवास और कार्यस्थल के बीच आवागमन हेतु परिवहन भत्ता पाने के पात्र होंगे। सरकारी दौरे पर यात्रा भत्ता/दैनिक भत्तें का भुगतान सेवानिवृत्ति के समय उनकी पात्रता के अनुसार किया जाएगा।

ड. यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता

- सरकारी कार्य हेतु घरेलु दौरे के लिए यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता परिषद के दिशा-निर्देशों के अनुसार देय होगा।
- सेवानिवृत्त कर्मचारी: सेवानिवृत्ति के समय उनकी पात्रता के अनुसार।

च. अधूरे आवेदन-पत्र, या निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत न किए गए आवेदन-पत्र, अथवा फोटो रहित और हस्ताक्षर रहित आवेदन, या सहायक दस्तावेज़ न होंने पर, आवेदन-पत्र अस्वीकार किए जाने योग्य है।

छ. चयन प्रक्रिया के दौरान गलत या झूठी जानकारी प्रस्तुत करने पर किसी भी चरण में उम्मीदवारी को निरस्त कर दिया जाएगा।

ज. परीक्षा/साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता देय नहीं होगा। अभ्यर्थियों को परिवहन/आवास की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

झ. परामर्शकों की नियुक्ति परिषद द्वारा दिनांक 26-11-2024 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 16/84/2024-Admn./ e-171470, के अंतर्गत प्रसारित परामर्शकों की नियुक्ति हेतु दिशा-निर्देशों के अनुसार की जाएगी।

ञ. सभी लागू करों की कटौती सरकार के नियमों एवं विनियमों के अनुसार की जाएगी।

ट. परामर्शकों की नियुक्ति पूर्णतः संविदा और अस्थाई आधार पर होगी तथा किसी भी उद्देश्य से उन्हें न "कर्मचारी" माना जाएगा और न ही "अधिकारी" नहीं माना जाएगा। परामर्शक के पास संविदा नियुक्ति को आगे बढ़ाने या सेवा के नियमितीकरण का कोई दावा नहीं होगा। नियुक्ति को किसी भी समय पूर्व में सूचना दिए बिना और कारण बताए बिना समाप्त किया जा सकता है। यघपि सामान्य परिस्थितियों में, संविदा को किसी भी पक्ष द्वारा कम से कम एक माह का नोटिस देकर, कारण बताए बिना समाप्त किया जा सकता है।

ठ. चयनित उम्मीदवार को सभी संस्थागत नियमों का अनुपालन करना होगा। निर्धारित प्रावधानों का उल्लंघन अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन माना जाएगा और इसके परिणामस्वरूप दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें अनुबंध की समाप्ति भी शामिल है।

ड. व्यक्तिगत परामर्शक निजी तौर पर अनुबंध के अंतर्गत अपनी सभी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए आवश्यक बीमा करवाने और उसे बनाए रखने के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगा। परामर्शक को जीवन, स्वास्थ्य तथा अन्य प्रकार के बीमा की व्यवस्था अपनी ओर से और अपने खर्चे पर करनी होगी, जिन्हें वे उपयुक्त समझते हों, ताकि उनकी नियुक्ति अवधि के दौरान पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

ढ. व्यक्तिगत परामर्शक से निजी तौर पर अपेक्षा की जाएगी कि वे परिषद/भारत सरकार के सभी दिशा-निर्देशों का अनुपालन करें, जो समय-समय पर लागू होते हैं। उन्हें अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय पूर्ण ईमानदारी, कार्यालय की गोपनीयता और निष्ठा प्रदर्शित करनी होगी। यदि किसी परामर्शक की सेवाएँ असंतोषजनक पाई जाती हैं या परिषद/भारत सरकार के हितों के साथ टकराव होता हैं, तो बिना कोई कारण बताए उनकी नियुक्ति तुरंत समाप्त की जा सकती है, इस संबंध में परामर्शक द्वारा नियुक्ति से पूर्व हस्ताक्षरित एक वचनबध्दता देनी होगी।

ण. सक्षम प्राधिकारी परामर्शक की नियुक्ति को बिना कोई कारण बताए, किसी भी चरण में रद्द करने और आगे न बढ़ाने का अधिकार रखते है।

त. किसी भी परिशिष्ट/संशोधन/अतिरिक्त जानकारी, यदि कोई हो, केवल परिषद की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी और प्रेस में अलग से कोई अधिसूचना जारी नहीं की जाएगी। आवेदकों से अनुरोध है कि वे स्वयं को अद्यतन रखने के लिए नियमित रूप से वेबसाइट का अवलोकन करें।

(दिनेश सोनी)
वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी
एनसीडी एवं आरसीएन प्रभाग
परिषद मुख्यालय